अध्याय III : पेंशन का प्राधिकरण

3.1 परिचय

3.1.1 अभिलेख कार्यालय (आर ओ) पी बी ओ आर के विषय में सूचनाओं का भंडार है। वे इकाइयों को सेवामुक्ति आदेश जारी करने के द्वारा पेंशन प्रस्ताव[8] प्रारंभ करने, आठ महीने पहले इकाइयों से (थल सेना) अंतिम रूप दिए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने, अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (एल पी सी) - व - डाटा शीट के संबंध में पी ए ओ (ओ आर) से अनुमति प्राप्त करने, संबंधित पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पी एस ए)[9] को ये कागज़ात भेजने और पी एस ए से पी पी ओ की प्राप्ति के बाद पेंशनर और पेंशन वितरण एजेंसियों (पी डी ए) को उसका प्रेषण करने के लिए जिम्मेदार हैं। थल सेना के मामले में, संबंधित इकाई व्यक्ति की सेवामुक्ति सूची अन्य संबद्ध कागज़ात जैसे डॉक्टरी जाँच रिपोर्ट और नामांकन आदि से संबंधित सूचना के साथ अभिलेख कार्यालय को अग्रेषित करता है।

3.1.2 आर ओ एल पी सी -व- डाटा शीटों के रूप में पी एस ए को सूचना भेजते हैं, जिसमें पेंशन मामले पर कार्यवाही करने और पी पी ओ जारी करने के लिए पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों (पी एस ए) को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक आधारभूत सूचना समाविष्ट होती है। विभागीय अनुदेश[10] पी एस ए को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सूचना एवं कागजात भेजने, सेवामुक्ति तिथि (डी ओ डी) के दो महीने पहले पी एस ए से पी पी ओ प्राप्त करने तथा उसे डी ओ डी के एक महीना पहले पेंशनर और पी डी ए को प्रेषित करने के लिए इकाइयों एवं आर ओ के लिए मापदंड निर्धारित करते हैं। थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के लिए मापदंडों का सार **अनुलग्नक - 4ए, 4बी, एवं 4सी** में दिया गया है।

---

[8] अधिकारियों के मामले में सेवा मुख्यालयों में संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्ताव प्रारंभ किए जाते हैं।

[9] पी सी डी ए (पी), इलाहाबाद; सी डी ए (वायु सेना) और सी डी ए (नौ सेना)

[10] उदाहरणार्थ, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (थलसेना), एडजूटेन्ट जेनरल शाखा के अनुदेशों (नवंबर 2013) के अनुसार सभी अभिलेख कार्यालयों को थल सेना से संबद्ध व्यक्ति की सेवामुक्ति के एक महीना पहले तक पी डी ए को पी पी ओ की मूल प्रति के प्रेषण की समय सीमा का कड़ा अनुपालन करना आवश्यक है। उस व्यक्ति को पी पी ओ की प्रति साथ-साथ जारी की जानी चाहिए। एयर-एच क्यू/41005/नीति/पी ए- III दिनांक 11 अप्रैल 2007 में वायु सेना के लिए समान अनुदेश समाविष्ट हैं।

3.2 पेंशन के प्रसंस्करण और प्राधिकरण में विलंब

3.2.1 जैसे बताया गया है, अनुदेशों के अनुसार आवश्यक है कि सेवामुक्ति (डी ओ डी) के एक महीना पहले पेंशनरों और पी डी ए को पी पी ओ प्रेषित किए जाने चाहिए। हमने 54 आर ओ में से 10 में पी डी ए / पेंशनरों को पी पी ओ के प्रेषण की नमूना जाँच की और पाया कि अनेक मामलों में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया था। हमारे निष्कर्षों का सारांश निम्नलिखित हैः

(i) अभिलेख कार्यालय जाट रेजिमेन्ट, बरेली में फरवरी 2015 में प्राप्त 94 मामलों में से 81 तथा फरवरी 2016 में प्राप्त 127 मामलों में से 95 में पेंशन कागज़ात संबंधित इकाइयों से देर से प्राप्त हुए थे।

(ii) अभिलेख कार्यालय जाट रेजिमेन्ट, बरेली में 2011-12 में 26.77 प्रतिशत पी पी ओ और 2012-13 में 32.27 प्रतिशत पी पी ओ को सेवामुक्ति की तिथि के बाद प्रेषित किए गए। वर्ष 2013-14 से 2015-16 के पी पी ओ प्रगति रजिस्टर के निर्धारित कॉलम में प्रेषण की तिथि नहीं लिखी गई थी। अतः विलंब की व्याप्ति का पता नहीं लगाया जा सका।

(iii) अभिलेख कार्यालय, राजपुताना राइफल्स, दिल्ली में 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्रेषित 1815 पी पी ओ में से 485 (26.72 प्रतिशत) को सेवामुक्ति की तिथि के एक से दो महीने के बाद प्रेषित किया गया था।

(iv) अभिलेख कार्यालय ए एस सी(दक्षिण), बैंगलूर और अभिलेख कार्यालय ई एम ई, सिकन्दराबाद में नमूना जाँच किए गए 1040 और 985 मामलों में से क्रमशः 762 एवं 736 मामले निकटतम संबंधियों (एन ओ के) से विवरणों के अभाव में परिवार पेंशन के दावों को अंतिम रुप देने हेतु 31 अगस्त 2016 को बकाया थे।

(v) सेवानिवृत्त वायुसैनिक निदेशालय (डी ए वी)[11] , नई दिल्ली में 2011-12 से 2015-16 के दौरान पी एस ए अर्थात् जे सी डी ए (ए एफ) से प्राप्त 21,340 पी पी ओ में से 6658 पी पी ओ (31.20 प्रतिशत) पेंशनरों की सेवामुक्ति की तिथि के बाद प्राप्त हुए थे। सेवामुक्ति की तिथि के बाद पी एस ए से प्राप्ति में हुए काल विलंब का विश्लेषण **चार्ट 3** में दिया गया हैः

[11] डी ए वी वायु सेना कार्मिकों के पेंशन मामलों का प्रसंस्करण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। वायु सेना अभिलेख कार्यालय, ए एफ सी ए ओ, जे सी डी ए (ए एफ), पी सी डी ए (पी) और पी डी ए के बीच समन्वय स्थापित करना इसका कार्य है।

चार्ट 3: सेवामुक्ति की तिथि के बाद पी पी ओ की प्राप्ति और प्रेषण में डी ए वी में विलंब

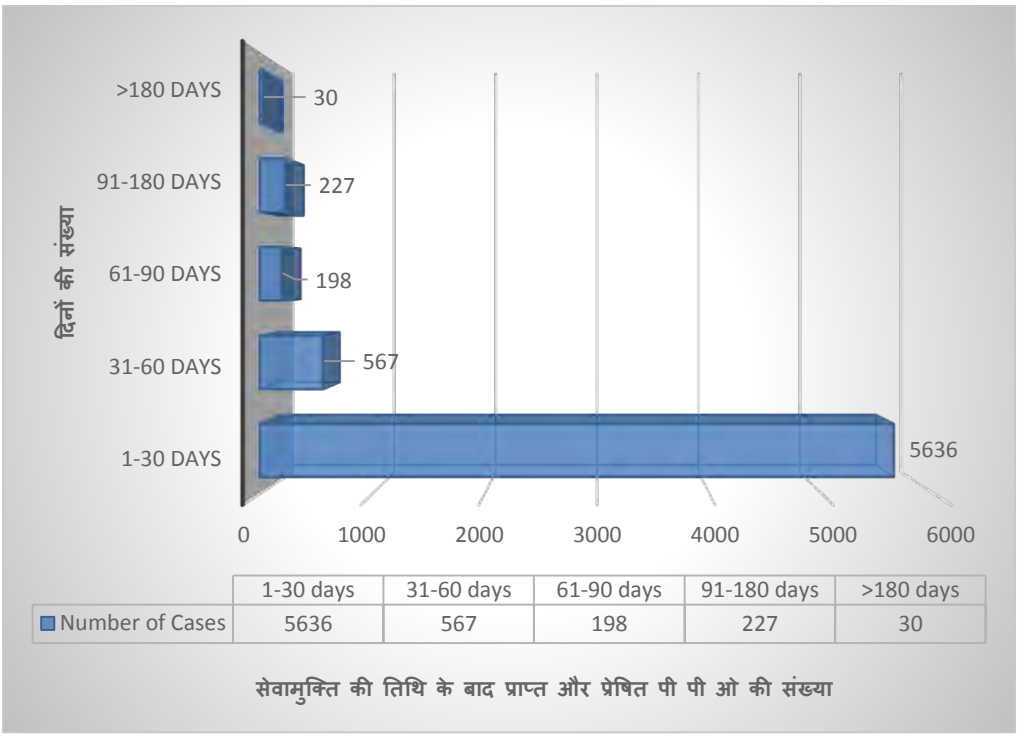

(vi) नमूना जाँच किए गए 225 पी पी ओ में से, सेवामुक्ति की तिथि के पहले डी ए वी में प्राप्त सभी 216 पी पी ओ सेवामुक्ति की तिथि के बाद पी डी ए एवं पेंशनरों को प्रेषित किए गए थे। सी डी ए (ए एफ) द्वारा की गई टिप्पणियों के फलस्वरूप वायु सेना अभिलेख कार्यालयों (ए एफ आर ओ) द्वारा अभिलेखों की देर से प्रस्तुति, इकाइयों से पेंशन कागजातों की विलंबित प्राप्ति तथा लेखापरीक्षा एजेंसियों (रक्षा लेखा विभाग) द्वारा विलंब से की गई टिप्पणियों को डी ए वी ने विलंब के लिए कारण बताया।

एम ओ डी ने बताया कि सेवामुक्ति/ सेवानिवृत्ति की तिथि से बहुत पहले ही पी एस ए को दावों की प्रस्तुति करने हेतु आर ओ अनुदेश जारी किए जा चुके थे (नवंबर 2013)। तथापि, लेखापरीक्षा निष्कर्षों से इंगित होता है कि उपरोक्त मामलों में उन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था।

3.3 पी पी ओ जारी करने में विलंब के कारण डी सी आर जी के भुगतान में विलंब

थल सेना के पेंशन विनियम भाग-II का पैरा 49 यह अनुबद्ध करता है कि साधारण सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान सेवामुक्ति की तिथि के तीन महीने के बाद प्राधिकृत किया गया है, तो सेवामुक्ति की तिथि के तीन महीने के

बाद की अवधि के लिए ब्याज दिया जाएगा; और उन सभी मामलों में, जहां ब्याज दिया गया है, उपदान के भुगतान में विलंब के लिए दायित्व निश्चित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने देखा कि 01/04/2011 से 31/03/2016 के दौरान डी ए वी में जारी 21,340 पी पी ओ में से 237 पी पी ओ सेवामुक्ति की तिथि (डी ओ डी) से तीन महीने से अधिक के बाद जारी किए गए थे, जिससे न केवल पेंशनरों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा, बल्कि उपदान के विलंबित भुगतान पर ब्याज की संभावित देयता भी आवश्यक हो गई।

3.4 पी पी ओ में अनियमितताएं

3.4.1 स्थायी चिकित्सा भत्ता और ई सी एच एस अंशदान दोनों की संस्वीकृति

जो भूतपूर्व सैनिक 01 अप्रैल 2003 या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उनको अनिवार्य रूप से अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई सी एच एस) का सदस्य बनना है और वे स्थायी चिकित्सा भत्ता (एफ एम ए) पाने के हकदार नहीं हैं। विद्यमान पेंशनर, जो ई सी एच एस का चयन करते हैं, वे भी एफ एम के लिए हक़दार नहीं होंगे।

हमारी नमूना लेखापरीक्षा से पता चला कि पी सी डी ए (पी) द्वारा जारी छः पी पी ओ और जे सी डी (ए एफ) द्वारा जारी पाँच पी पी ओ में, यद्यपि पेंशनर ने ई सी एच एस का चयन किया था, एफ एम ए संस्वीकृत किया गया।

एम ओ डी ने बताया कि एफ एम ए और ई सी एच एस अंशदान दोनों के एक साथ अधिसूचन को रोकने के लिए वैधीकरण जाँच को प्रयोग में लाया गया था। तथापि पी सी डी ए (पी) के सॉफ्ट डाटा के विश्लेषण से 2,579 मामलों में पी सी डी ए (पी) द्वारा एफ एम ए और ई सी एच एस दोनों की संस्वीकृति का पता चला, जो यह सूचित करता है कि वैधीकरण जाँच को अधिक दृढ़ बनाने की और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई दोहरा लाभ नहीं मिला है, पहचान किए गए मामलों में अधिक जाँच करने की आवश्यकता थी।

3.4.2 प्रधान सी डी ए (नौसेना) मुंबई द्वारा पेंशन की अनुमति

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डी सी आर जी) का परिकलन करते समय वर्गीकरण भत्ते[12] पर महँगाई भत्ता अनुमत नहीं है। प्रधान सी डी ए (नौ सेना) मुंबई में 606 नौसैनिक पेंशनरों (2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले नाविक) के अभिलेखों से पता चला कि 56 मामलों में डी सी आर जी के लिए गणनीय परिलब्धियों का परिकलन करते समय वर्गीकरण भत्ते पर डी ए को गलती से हिसाब में लिया। प्रधान सी डी ए

[12] वर्गीकरण भत्ता पी बी ओ आर को प्रत्येक वर्ग में निश्चित व्यवसाय संबंधी योग्यता प्राप्त करने पर दिया जाता है। पेंशन के लिए वर्गीकरण भत्ते का पचास प्रतिशत गिना जाता है।

(नौ सेना), मुबंई ने बताया कि उन मामलों में शुद्धिपत्र पी पी ओ जारी किए जाएंगे। इन मामलों में किए गए अधिक भुगतान की वसूली की निगरानी की आवश्यकता है।

3.5 पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया के कार्य-प्रवाह की समीक्षा की आवश्यकता

3.5.1 हमने पेंशन मामलों के प्रसंस्करण के संबंध में थल सेना, वायु सेना एवं नौ सेना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की समीक्षा की, और देखा कि:

- थल सेना में, एक पेशन मामला पी डी ए और पेंशनर तक पहुँचने से पहले चार प्राधिकारियों और छः चरणों से होकर जाता है, इसके लिए निर्धारित समय आठ महीने है **(अनुलग्नक- 4 क)**।

- वायु सेना में, एक पेंशन मामला पी डी ए और पेंशनर तक पहुँचने से पहले पाँच प्राधिकारियों और छह चरणों से होकर जाता है, इसके लिए निर्धारित समय नौ महीने है **(अनुलग्नक- 4 ख)**।

- इसी प्रकार, नौ सेना में एक पेंशन मामला पी डी ए और पेंशनर तक पहुँचने से पहले चार प्राधिकारियों और छह चरणों से होकर जाता है; इसके लिए निर्धारित समय बारह महीने है **(अनुलग्नक- 4 ग)।**

हमने यह भी देखा कि पी बी ओ आर के विषय में, पी डी ए और पेंशनर को प्रेषित करने के लिए पी पी ओ पी एस ए द्वारा आर ओ को भेजे जाते हैं, जबकि अधिकारियों के विषय में पी पी ओ का प्रेषण पी एस ए सीधे पी डी ए को करते हैं।

3.5.2 हमने देखा कि अभिलेख कार्यालयों से पी सी डी ए (पी) में सूचना का प्रवाह एल पी सी- व- डाटा शीटों, हार्ड प्रतियों तथा सी डी में मैनुअल रूप में होता है, जहाँ हार्ड प्रति की जाँच करने के बाद सूचना को पी सी डी ए के सिस्टम में अंतरित किया जाता है। पी सी डी ए (पी) से पी पी ओ प्राप्त हो जाने के बाद उसे पी डी ए और पेंशनरों को आर ओ के द्वारा मैनुअल रूप में भेजा जाता है। इसी प्रकार, पी पी ओ की हार्ड प्रति की प्राप्ति के बाद पी डी ए, पेंशनरों को पेंशन का भुगतान करने के लिए आवश्यक आधारभूत सूचनाओं से युक्त ग्राहक प्रोफाइल का एक डाटा बेस बनाने के लिए मैनुअल रूप में उस डाटा को अपने सिस्टम में प्रतिलेखन करते हैं। आर ओ, पी एस ए और पी डी ए, जो रक्षा विभाग की पेंशन प्रबंधन प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण तीन स्तंभ हैं, के बीच कोई ऑनलाइन संयोजकता विद्यमान नहीं है। यह प्रणाली न केवल अक्षम और अधिक समय लेने वाली है, बल्कि विभिन्न चरणों पर प्रतिलेखन त्रुटियां होने की संभावना भी है। यदि उचित वैधीकरण जाँचों के साथ-साथ ऑनलाइन संयोजकता भी स्थापित की जाए तो सूचना का प्रवाह अधिक शीघ्र और कार्यक्षम हो सकता है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रेषण श्रृंख्ला के किसी भी स्थान पर बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के मूल स्थान (आर ओ) से गंतव्य स्थान (पी डी ए) में केवल

वैधीकृत डाटा ही अंतरित होता है। तीन स्तंभों की ऑनलाइन संयोजकता तथा सुरक्षित ढंग से वैधीकृत सूचना का स्वचालित प्रवाह, अनेक स्थानों में डाटा प्रविष्टि की आवश्यकता एवं प्रतिलेखन की सहवर्ती त्रुटियों को दूर करेंगे।

एम ओ डी ने बताया कि ऑनलाइन संयोजकता, सूचना का स्वचालित प्रवाह आदि के संबंध में सुझाए गए बिंदुओं पर कार्रवाई की जा रही थी तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया गया था।

3.6 निष्कर्ष और सिफारिशें

रक्षा पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया में लंबी- चौड़ी कार्यविधियां, पर्याप्त निगरानी का अभाव, अंशधारकों के बीच एक एकीकृत प्रेषण श्रृंखला, जो मैनुअल प्रतिलेखन त्रुटियों से मुक्त वैधीकृत सूचना के स्वचालित प्रवाह को समर्थ करता है, का अभाव सहित अनेक अक्षमताएं दिखाई देती हैं। इन अक्षमताओं पर काबू पाने से रक्षा पेंशन प्रबंधन प्रणाली की कार्यक्षमता एवं प्रभावकारिता में बड़ी वृद्धि होगी।

पिछले वर्षों में, सिविल पक्ष की पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया को एक बड़ी सीमा तक सरल बनाया गया है तथा पेंशन संस्वीकृत करने का प्राधिकार विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को प्रत्यायोजित किया गया है। रक्षा पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया को सरल और अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए यदि उसमें सिविल पेंशन पक्ष की कुछ बेहतरीन प्रक्रियाओं का समावेश किया जा सकता है, यह देखने के लिए इस मामले की अधिक जाँच की आवश्यकता है। एम ओ डी ने बताया कि सिविल पेंशन की तुलना में रक्षा पेंशन और अधिक जटिल थी और पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों का सीमित संख्या में होना आवश्यक था। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान (एन आई एस जी), जिसे पेंशन संस्वीकृति और वितरण प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए परामर्शदाता के रूप नियुक्त किया गया था, ने विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव नहीं दिया था।

पूर्वोक्त के आलोक में हम यह सिफारिश करते हैं कि:

- पेंशन के प्राधिकरण के लिए वर्तमान निगरानी व्यवस्था को मज़बूत बनानी चाहिए। पेंशन मामलों का प्रसंस्करण तथा पेंशनरों और पी डी ए को पी पी ओ का प्रेषण करने के लिए निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से प्रवर्तन होना चाहिए।

- एन आई एस जी अध्ययन के अलावा, पेंशन के प्राधिकरण की वर्तमान प्रक्रिया की यह देखने के लिए कि क्या उसे कम बोझिल और कम समय लेने वाला बनाने के लिए सरल बनाया जा सकता था, एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। गैर-रक्षा अर्थात् सिविल पेंशन पक्ष के मामले में कार्यालयाध्यक्षों को पेंशन संस्वीकृत करने की प्रत्यायोजित शक्तियां हैं तथा केंद्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय, विभागों और बैंकों के बीच अंतरापृष्ठ के रूप में कार्य करता

है। रक्षा पक्ष में समान प्रत्यायोजन खोजा जा सकता है, जिससे कार्यविधियां सरल हो जाएँगी।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित ढंग से केवल वैधीकृत डाटा ही आर ओ से पी एस ए में और पी एस ए से पी डी ए में प्रेषित होता है, प्रेषण श्रृंखला में सूचना के स्वचालित प्रवाह को समर्थ बनाने के लिए आर ओ, पी एस ए और पी डी ए- इन तीन स्तंभों को ऑनलाइन संयोजित किया जाना चाहिए।

- पी पी ओ को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे पी डी ए को भेजने के लिए पी एस ए को एक प्रणाली का विकास करना चाहिए, जिससे आर ओ के मार्ग से उन्हें वापस भेजने की आवश्यकता का निराकरण किया जा सके। यह पी डी ए को पी पी ओ के प्रेषण में लिए जाने वाले समय को बहुत कम करेगी और अपने सिस्टम में पी पी ओ डाटा का मैनुअल प्रतिलेखन करने में पी डी ए को लगने वाले काफी समय को बचाएगी। मैनुअल प्रतिलेखन में त्रुटियों की संभावना रहती है। पी सी डी ए (पी) की ई- पी पी ओ परियोजना को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

- प्रस्तावित स्वचालित प्रणाली को पेंशन प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण पर होने वाले विलंबों की बेहतर निगरानी करने के लिए एम आई एस का निर्माण करना चाहिए।